भारत की संसद
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए

1. लोकसभा में यथा पुरस्थापित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जांच और प्रतिवेदन के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक प्रभावों पर विचार करते हुए, श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य की अध्यक्षता में समिति ने सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/हितधारकों और संस्थानों से विचार/सुझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

2. समिति को लिखित ज्ञापन/सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग , उनकी दो प्रतियां अंग्रेजी अथवा हिन्दी में संयुक्त सचिव (जेएम), लोक सभा सचिवालय, कमरा नं 440, संसदीय सौंध, नई दिल्ली-110001, दूरभाष 23034440/23035284, फैक्स नंबर: 23017709 को भेज सकते हैं और इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर jpcwaqf-lss@sansad.nic.in को मेल कर सकते हैं । 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' का पाठ लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है (अंग्रेजी संस्करण के लिए लिंक- https://sansad.in/ls/legislation/bills और हिंदी संस्करण के लिए लिंक- https://sansad.in/ls/hi/legislation/bills (विधेयक नं. 109))

3. समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन/सुझाव समिति के अभिलेखों का हिस्सा होंगे और इन्हें ‘गोपनीय’ माना जाएगा तथा इन्हें समिति के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

4. ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा जो लोग समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विशेष रूप से इसका उल्लेख करें। तथापि, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

cbc 31201/11/0003/2425